भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2903
जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

उत्सर्जन संबंधी मानकों हेतु रूपरेखा

2903. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आध्लराव पाटील शिवाजीराव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2028 तक उत्सर्जन संबंधी मानकों को वैश्विक बैंचमार्कों के अनुरूप बनाने के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने और एक दीर्घकालीन रूपरेखा अपनाने हेतु एक प्रारूप नेशनल ऑटो पॉलिसी के संबंध में हित धारकों की टिप्पणियां मांगी हैं;

(ख) क्या सरकार की भारत स्टेज-VI मानकों से अधिक प्रभावी उत्सर्जन संबंधी मानकों हेतु दीर्घकालीन रूपरेखा अपनाने और उसे 2028 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और एक द्विस्तरीय ढांचे वाला नोडल निकाय बनाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नोडल निकाय कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश के ऑटोमोटिव सेक्टर में एक सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र बनने और भारत को अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक केन्द्र बनाने की क्षमता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऑटोमोटिव सेक्टर का विकास करने और इसे भारत को अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक केन्द्र बनाने में मददगार बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी हां, राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति फरवरी 2018 का मसौदा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की बेवसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है और संबंधित स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई है।

(ख) और (ग): वर्तमान में, समूचे विश्व में यूरो-VI उत्सर्जन मानक लागू हैं और भारत ने इन्हें भारत स्टेज VI मानकों के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। वैश्विक स्तर पर यूरो-VI के बाद के मानकों पर अभी विचार विमर्श जारी है। भारत भविष्य में निश्चित रूप से उन सिफारिशों का अध्ययन करेगा ताकि

राष्ट्रीय उत्सर्जन विनियमों को दृढ़ बनाया जा सके। राष्ट्रीय ऑटो नीति के मसौदे का उद्देश्य अगले पांच वर्षों तक ऑटो मानकों में एकरूपता को लाना है। इस समय उत्सर्जन विनियमों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में विकसित और अधिसूचित किया जा रहा है। एक नोडल निकाय का सृजन राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति के मसौदे में सम्मिलित प्रस्तावों में से एक है।

(घ) और (ङ): जी हां, ऑटोमोटिव सेक्टर में एक सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र बनने और भारत को अनुसंधान एवं विकास का वैश्विक केन्द्र बनाने की क्षमता है, वर्तमान में उद्योग आकलन के अनुसार, ऑटोमोटिव सेक्टर में देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 49 प्रतिशत है और यह 30-32 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया स्कीम एवं अन्य उपलब्ध अनुदानों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु धनराशि जारी की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के वास्ते भारी उद्योग विभाग ने उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई) और इम्पैक्ट रिसर्च इंनोवेशन एंड टेक्नॉलोजी (आईएमपीआरआईएनटी) स्कीम को भी सहायता दी है; इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं उद्योग एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता जैसे आईआईटी आदि तकनीकी संस्थानों के साथ नजदीकी भागीदारी से जुड़ी है, राष्ट्रीय ऑटो नीति के मसौदा में उपयुक्त राजस्व एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

*****